परिवादी द्वारा श्री अरूण कुमार श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त मुरारीलाल सहित श्री के०सी० उपाध्याय अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त लक्ष्मीनारायण की ओर से पी०के० वर्मा अधिवक्ता ने एक आवेदन पत्र धारा 44 (2) द०प्र०सं० का वकालतनामा सहित पेश कर अभियुक्त लक्ष्मीनारायण की पहचान करते हुये उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण के अवलोकन उपरांत निवेदन उचित प्रतीत होने से अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध गिरफतारी वारंट जारी होने की दशा में अविलंब अदम तामील वापस बुलाया जाये।

अभियुक्त की ओर से एक आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं0 का पेश किया गया। नकल परिवादी अधिवक्ता को दी जाकर उभयपक्ष को सुना गया।

अभियुक्त पक्ष की ओर से जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया, जबकि परिवादी पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।

उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये प्रकरण का अवलोकन किया गया, जिससे पाया जाता है कि प्रकरण में परिवादी कंपनी की ओर से अभियुक्त के विरुद्ध धारा 138 विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त आज प्रथम बार स्वतः उपस्थित हुआ है एवं प्रकरण के निराकरण में विलंब की संभावना एवं अभियुक्त वृद्ध व्यक्ति होना बताया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण की समस्त परिस्थितियों के आलोक में आवेदन पत्र धारा 439 दं0प्र0सं० स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि निम्न शर्तों सहित अभियुक्त की ओर से 20000/—बीस हजार रूपये की सक्षम जमानत और इतनी ही राशि का बंधपत्र पेश होने पर उसे अभिरक्षा से उन्मुक्त किया जावे अन्यथा विधिवत जेल भेजा जावे।

शर्ते:-

1.अभियुक्त नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा। 2.अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा।

आदेशानुसार अभियुक्त लक्ष्मीनारायण की ओर से 20 हजार रूपये की जमानत, जमानतदार सुंदर सिंह पुत्र हरदेव सिंह मिर्धा आयु 80 वर्ष निवासी ग्राम पिपरौली थाना गोहद जिला भिण्ड म०प्र० ने पेश की तथा अभियुक्त का इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र पेश किया गया। पेर ग्र गई। ग्रा है। 18 को पेश हो। विशेष न्यायाधीश विधुत जमानतदार की पहचान उपस्थित अधिवक्ता द्वारा की गई। जमानत बाद तश्दीक स्वीकार की गई।